1

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन न0 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

कमांकः–आत्मा/जोधपुर/लेखा/निविदा/2017–18/174-77 दिनांक 1.6.17

खुली निविदा संख्या 03/17–18

इस कार्यालय द्वारा सचालित विभिन्न कृषि योजनाअन्तर्गत विभिन्न स्तर पर आयोजित किसानों के लिये कृषक प्रशिक्षण/कृषक भ्रमणों/किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु भोजन व्यवस्था एवं सप्लाई हुई जोधपुर जिले में ग्राम/पंचायत समिति, जिला मुख्यालय सतर, जिले से बाहर, राज्य से बाहर जब आवश्यकता हो के आधार पंजिकृत फर्मो/व्यक्तियो से ई–निविदाए आमन्त्रित की जाती है ।

क. सं.	निविदा का नाम कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखो में)	बयाना/धरोहर राशि (हजारो में)	निविदा शुल्क (अप्रतिदेय)	अवधि
1	कृषक प्रशिक्षण/कृषक भ्रमणों/किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था	4.50 लाख	9000	400	वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 31 मार्च 2018 तक

1. निविदा की विस्तृत शर्ते http://sppp.rajsthan.gov.in एव विभागीय वेबसाईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है ।
2. बयाना/धरोहर राशि डीडी निविदा फार्म के साथ जो कि उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर के नाम देय होगा। डी डी निविदा खोलने से पूर्व जमा कराना होगा ।
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने कि दिनांक 01.06.17 से दिनांक 15.06.17 तक कार्यालय समय में प्राप्त कि जा सकते हैं।
4. भरी हुई निविदा प्राप्त करने की दिनांक 16.06.17 समय 1:00 पीएम तक जमा की जायेगी, तथा उसी दिन 4.00 पीएम. बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
5. निविदा को स्वीकार /अस्वीकार तथा निरस्त करने के समस्त अधिकार बिना किसी सूचना के विभाग के पास सुरक्षित है ।
6. निविदा के साथ (पैन नम्बर , टीन नम्बर, सेवा कर पंजियन प्रमाण पत्र, फूड लाइसेस प्रमाण पत्र, यह समस्त दस्तावेज सलग्न होना आवश्यक है इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।

(हरीश मेहरा)
उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

कमांकः– आत्मा/जोधपुर/लेखा/निविदा/2017–18/174-77 दिनांकः–1.6.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान सयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जोधपुर ।
2. श्रीमान एनलिस्ट कम प्रोगामर, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर उक्त निविदा अपलोड करावे ।
3. नोटिस बोर्ड कार्यलय हाजा ।
4. लेखा शाखा /भंडार पाल कार्यलय हाजा ।

(हरीश मेहरा)
उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन न0 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

(2)

निविदा फार्म शुल्क – 400

नकद / बैकर चैक / डीडी संख्या . . . .

दिनांक. . . . .

जारी दिनांक . . . .

निविदा प्रारूप

1.	निविदा सूचना संख्या	कमांकः–आत्मा / जोधपुर / लेखा / निविदा / 2017–18 / दिनांकः–			
2.	अमानत राशि	राशि 9000 / – बैकर चैक / डीडी नं............................. दिनांक .... संलग्न आवश्यक है ।			
3.	निविदा प्रस्तुत करने वाली का नाम व पूर्ण पता	निविदा दाता / व्यक्ति / फर्म का नाम .... टेलीफोन नं. ....मोबाईल नं........................			
4.	सलग्न दस्तावेज	पैन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है / नही टीन नम्बर की फोटो प्रति संलग्न है / नही सेवा कर नम्बर की फोटो प्रति संलग्न है / नही फूड लाईसेस की फोटो प्रति संलग्न है / नही			
5.	अनुबंध अवधि	वित्तीय वर्ष 2017–18 मे जब आवश्यकता होने के आधार पर दिनांक 31.03.18 तक			
6.	कार्य का विवरण	वर्ष 2017–18 जब आवश्यकता हो के आधार पर कृषक प्रशिक्षण / कृषक भ्रमणों / किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था करना			
7.	प्रस्तावित दर	प्रस्तावित दरे रूपये समस्त कर सहित प्रति व्यक्ति फुल डाईट (भरपेट भोजन)			
8.	**कार्य का विवरण**	**प्रस्तावित दरें रूपयें / डाईट**			
		जिला मुख्यालय जोधपुर पर दरें	**जिले की ग्राम पंचायत स्तर पर दर**	**जोधपुर जिले के बाहर (राज्य भ्रमण)**	**राज्य के बाहर (अन्तर्राज्जीय भ्रमण की दरें)**
9.	भोजन प्रति डाईट (भरपेट भोजन) मीन्यू 1. गेंहू की रोटी शुद्व घी से चुपडी हुई, दो सब्जी (एक मौसम के अनुसार) दो मिठाई पीस (अनुमानित 100 ग्राम), सलाद, अचार सहित औसत डाईट				
2.	भोजन प्रति पैकेट (सिल्वर फॉइल सहित डिब्बा बन्द टिश्यू पेपर सहित) मीन्यू 1. गेंहू की रोटी शुद्व घी से चुपडी हुई, दाल, सब्जी, पापड, दो मिठाई पीस (अनुमानिम 100 ग्राम), सलाद, अचार सहित औसत डाईट				
3.	नाश्ता प्रति प्लेट मीन्यू 1. पौहा / उपम्मा 150 ग्राम (प्रति नग)				
4.	चाय 1. चाय प्रति कप 100 एमएल				

निविदा दाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता

....

मैने / हमने उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई बोली की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से पढ व समझ लिया है तथा मुझे / हमे बोली की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठो पर उल्लेखित शर्तो को मेरे / हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

निविदादाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन न0 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

निविदा की शर्ते

कार्यालय द्वारा वर्ष 2017–2018 मे आत्मा योजनान्तर्गत आयोजित कृषक प्रशिक्षण / कृषक भ्रमणों / किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु चाय नाश्ता भोजन की उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 03 / 2017–18 की शर्ते निम्नानुसार है। निविदादाता को निविदा फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तो को ध्यान पूर्वक पढे एवं प्रत्येक पृष्ठो पर अपने हस्ताक्षर कर निविदा के साथ सलग्न करे ।

1. इच्छुक निविदादाता को निविदा मे दिये गये निदेर्शो के अनुसार निविदा फार्म इस कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते हैं।
2. निविदा के साथ (पैन नम्बर , टीन नम्बर, सेवा कर पंजियन प्रमाण पत्र, फूड लाइसेस प्रमाण पत्र, यह समस्त दस्तावेज सलग्न होना आवश्यक है इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
3. प्रस्तुत दरे समस्त कर सहित प्रस्तुत करे जिसमे समस्त प्रकार के कर सम्मिलित हो ।
4. दरे समस्त कर सहित प्रस्तुत करे । किसी भी प्रकार की शर्ते सलग्न नही करे सर्शत निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
5. इस वर्ष से लागू पंजीयन एव मुद्रांक विभाग द्वारा निर्धारित पंजियन शुल्क 0.25 प्रतिशत दर से देय जो निविदा की राशि पर देय है का भुगतान निविदादाता को चुकाना होगा ।
6. निर्धारित बयाना / धरोहर राशि 9000 / – का तथा फार्म शुल्क 400 / – निविदा खोलने से पूर्व निर्धारित दिनांक तथा समय पर कार्यालय में वयक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना होगा। निविदा स्वीकार होने के पश्चात तीन दिवस के भीतर या जो दिनांक निर्धारित कि जावे तक निर्धारित करार एव धरोहर राशि प्रस्तुत नही करने पर प्राप्त बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी ।
7. निविदा स्वीकार होने के पश्चात् निर्धारित तीन दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार पांच प्रतिशित की दर से राशि 22500 अक्षरे बाईस हजार पांच सौ रूपयें जमा करानी होगी जो कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर एव फर्म द्वारा समस्त बकाया कर (वैट एव सेवा कर) आदि जमा के चालान प्रस्तुत करने पर एव कोई राशि बकाया नही होने के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्ण संतुष्ट होने पर लौटाई जावेगी । निविदा स्वीकार होने के पश्चात नियमानुसार (पंजीयन एव मुद्रांक विभाग के आदेश अनुसार 0.25 प्रतिशत) 1125 रूपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार कर नोटेरी द्वारा नोटरी करवा कर प्रस्तुत करना होगा इसके प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा । इस पर व्यय समस्त खर्चे का भुगतान निविदादाता का होगा । कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नही किया जावेगा ।
8. नियमानुसार देय भुगतान मे से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी ।
9. आयकर के अलावा देय समस्त कर लागू होने या नही होने की स्थिति मे भुगतान निविदादाता को ही करना होगा । जिसमे देय नियमानुसार वैट का भुगतान एव सेवा कर का भुगतान निविदादाता को ही करना होगा विभाग द्वारा इसका भुगतान नही किया जावेगा ।
10. निविदादाता को भुगतान करने से पूर्व भुगतान पर देय वैट की राशि एव देय सेवा कर की राशि संबंधित विभाग मे जमा करा कर चालान प्रति प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात ही देय भुगतान निविदादाता को किया जावेगा । आप द्वारा देय वैट राशि एव सेवा कर राशि जमा नही कराने पर एव बकाया राशि होने पर नियमानुसार जमा धरोहर राशि मे से काटी जाकर संबंधित विभाग मे जमा करायी जावेगी । जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा ।
11. निविदादाता भोजन व्यवस्था के अधिकृत एव अनुभवी फर्मो / व्यक्तियो द्वारा प्रस्तुत की जावे ।
12. ग्राम / पंचायत समिति / जिला स्तर / जिले से बाहर / राज्य से बाहर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों / भ्रमणों / मेले एवं अन्य गतिविधियों में उपस्थित कृषको हेतु प्रति दिन भागजन उपलब्ध कराना है। कृषको की संख्या में वृद्धी होने पर उस स्थान पर भी उपरोक्तानुसार भोजन उपलब्ध कराना होगा ।
13. निविदादाता को जिले मे ग्राम / पंचायत समिति / जिला स्तर / जिले से बाहर / राज्य से बाहर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों / भ्रमणों / मेले एवं अन्य गतिविधियों में तय दिनांक एव समय पर भोजन सप्लाई एव उपलब्ध कराना होगा । प्रशिक्षण स्थल एव दिनांक समय एव स्थान से आपको अवगत कराया जावेगा ।
14. प्रशिक्षणों / भ्रमणों / मेले एवं अन्य गतिविधियों स्तर पर भोजन पहुचाने का समस्त व्यय तथा वाहन आदि का खर्च निविदादाता का होगा ।
15. खाना उच्च गुणवता शुद्व देशी घी में निर्मित चुपडी चपाती एव सब्जियां शुद्व मुंगफली के तेल मे बनी हुई होनी चाहिए ।
16. खाना पकाने एव खाना खिलाने हेतु समस्त प्रकार के बर्तन एव अन्य सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को स्वय के स्तर पर करनी होगी । इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।

17. निविदादाता को निविदा से समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तो एव समझौते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है । इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
18. निविदादाता के भुगतान की कुल राशि मे से नियामानुसार आयकर की कटौती व अन्य आवश्यक करो की कटौती की जावेगी, तथा भोजन पर देय वाणिज्य कर विभाग को टैक्स एव सेवा कर आदि का समस्त भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा । निविदादाता को ही जमा करा कर रसीद/चालान कार्यालय मे प्रस्तत करनी होगी । इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त किसी कर का भुगतान नही किया जावेगा ।
19. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।
20. प्रस्तुत दरे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए दिनांक 31.3.2018 तक के लिए ही मान्य होगी । इस अवधि को आपसी सहमति से ही बढाया जा सकेगा ।
21. निविदादाता को चाय,नाश्ता,भोजन आदि की आपूर्ति स्वय के खर्चे पर वांछित प्रशिक्षण स्थलो पर करनी होगी।
22. निविदादाता को चाय नाश्ता भोजन निर्माण में उच्च क्वालिटी की सामग्री बनाने मे प्रयुक्त करनी होगी ।
23. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौंपेगा या उसे भाडे पर नही देगा ।
24. निविदादाता द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार भोजन नही होने पर उसका भुगतान नही किया जावेगा तथा उस समय पर खर्च हुए अतिरिक्त व्यय के समस्त भुगतान की कटौती निविदादाता को देय भुगतान मे से कटौती कि जावेगी । निर्धारित स्पेशिफिकेशन मे कोई आईटम की कमी होने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी ।
25. सप्लाई भोजन की उच्च अधिकारियो द्वारा आकस्मिक जांच की जावेगी जिसमे किसी प्रकार की कमी होने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी ।
26. निम्न गुणवता के कारण उत्पन्न समस्त परिणामो/परिस्थितियो हेतु निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
27. प्रशिक्षण स्थल पर उच्च अधिकारीयो एव संबंधित अधिकारी प्रभारी द्वारा भोजन की जांच की जावेगी भोजन एव भोजन सामग्री की गुणवत्ता सही नही पाये जाने पर नियमानुसार कटौति की जावेगी ।
28. भोजन की गुणवता पर शिकायत या संशय होने की स्थिति में प्रभारी द्वारा जांच की जावेगी एवं सिफारिश अनुसार कटोती की जावेगी।
29. निर्धारित समय/अवधि मे कार्य सम्पादित नही करने पर उस समय की गई चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था की पूर्ण भुगतान राशि की वसूली निविदा दाता से की जावेगी एवं नियमानुसार शास्ती आरोपित की जावेगी एवं हानियो की वसूली की जावेगी।
30. निविदा मे दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है ।
31. निर्धारित अवधि मे धरोहर राशि जमा नही कराने पर जमा बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी ।
32. संविदा की शर्तो का उल्लगन करने, कार्य संतोषप्रद नही होने तथा निविदा में सफल होने के उपरान्त भी कार्य नही करने की स्थिति में तथा करार नही करने की स्थिति मे बयाना राशि /धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।
33. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम के अनुसार लागू होगी जिसका पालन करना होगा ।
34. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तो मे संशोधन का अधिकार कय समिति के पास सुरक्षित होगा ।

उपरोक्त कम संख्या 1से 34 तक की शर्ते मुझे/हमे स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर